संख्याः–1172/79–6–16–1112/2011

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 9 सितम्बर, 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय मद की द्वितीय किस्त निर्गत किए जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/1386/2016–17 दिनांक 12.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यकम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0–69.960 लाख (रू0 उनहत्तर लाख छियान्वे हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–46.650 लाख (रू0 छियालिस लाख पैसठ हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–116.610 लाख (रू0 एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्दांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01– प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–796–जनजातीय उप योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0101– मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40–के.+रा.)– 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–1354/दस–16 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13 समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14 बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

budget. RP 2016

Enclosure of G O No.

[Mid Day Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers
FY 2016-17: Grant -81 (Tribal Sub Plan) PLAN
2nd Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

Rs. In Lac.

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (TSP category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 600/cook/ month) being released as 2nd Installment	State Share Funds (@ Rs 400/cook/ month) being released as 2nd Installment	Total Funds being released as 2nd Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Agra		3	0.000	0.000	0.000
2	Aligarh		3	0.000	0.000	0.000
3	Allahabad		3	0.000	0.000	0.000
4	Ambedkar nagar		3	0.000	0.000	0.000
5	Auraiya		3	0.000	0.000	0.000
6	Azamgarh		3	0.000	0.000	0.000
7	Badaun		3	0.000	0.000	0.000
8	Baghpat		3	0.000	0.000	0.000
9	Bahraich	49	3	0.940	0.630	1.570
10	Ballia		3	0.000	0.000	0.000
11	Balrampur	24	3	0.460	0.310	0.770
12	Banda		3	0.000	0.000	0.000
13	Barabanki		3	0.000	0.000	0.000
14	Bareily		3	0.000	0.000	0.000
15	Basti		3	0.000	0.000	0.000
16	Bhadohi		3	0.000	0.000	0.000
17	Bijnour		3	0.000	0.000	0.000
18	Bulandshahar		3	0.000	0.000	0.000
19	Chandauli		3	0.000	0.000	0.000
20	Chitrakoot		3	0.000	0.000	0.000
21	CSM Nagar (Amethi)		3	0.000	0.000	0.000
22	Deoria	1256	3	24.110	16.080	40.190
23	Etah		3	0.000	0.000	0.000
24	Faizabad		3	0.000	0.000	0.000
25	Farrukhabad		3	0.000	0.000	0.000
26	Fatehpur		3	0.000	0.000	0.000
27	Firozabad		3	0.000	0.000	0.000
28	Gautambuddh ngr		3	0.000	0.000	0.000
29	Ghazipur		3	0.000	0.000	0.000
30	Ghaziyabad		3	0.000	0.000	0.000
31	Gonda		3	0.000	0.000	0.000
32	Gorakhpur		3	0.000	0.000	0.000
33	Hameerpur		3	0.000	0.000	0.000
34	Hardoi		3	0.000	0.000	0.000
35	Hathras (Mahamaya Ngr)		3	0.000	0.000	0.000
36	Itawah		3	0.000	0.000	0.000
37	J.P. Nagar (Amroha)		3	0.000	0.000	0.000
38	Jalaun		3	0.000	0.000	0.000
39	Jaunpur		3	0.000	0.000	0.000
40	Jhansi		3	0.000	0.000	0.000

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (TSP category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 600/cook/ month) being released as 2nd Installment	State Share Funds (@ Rs 400/cook/ month) being released as 2nd Installment	Total Funds being released as 2nd Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
41	Kannauj		3	0.000	0.000	0.000
42	Kanpur Dehat		3	0.000	0.000	0.000
43	Kanpur Nagar		3	0.000	0.000	0.000
44	Kashiram Nagar (Kasganj)		3	0.000	0.000	0.000
45	Kaushambi		3	0.000	0.000	0.000
46	Kushinagar		3	0.000	0.000	0.000
47	Lakhimpur Kheri	202	3	3.880	2.580	6.460
48	Lalitpur	72	3	1.380	0.920	2.300
49	Lucknow		3	0.000	0.000	0.000
50	Mahoba		3	0.000	0.000	0.000
51	Mahrajganj		3	0.000	0.000	0.000
52	Mainpuri		3	0.000	0.000	0.000
53	Mathura		3	0.000	0.000	0.000
54	Mau		3	0.000	0.000	0.000
55	Meerut		3	0.000	0.000	0.000
56	Mirzapur		3	0.000	0.000	0.000
57	Muradabad		3	0.000	0.000	0.000
58	Muzaffarnagar		3	0.000	0.000	0.000
59	Pilibheet		3	0.000	0.000	0.000
60	Pratapgarh		3	0.000	0.000	0.000
61	Rai Bareily		3	0.000	0.000	0.000
62	Rampur		3	0.000	0.000	0.000
63	Saharanpur		3	0.000	0.000	0.000
64	Santkabir Nagar		3	0.000	0.000	0.000
65	Shahjahanpur		3	0.000	0.000	0.000
66	Shravasti	28	3	0.540	0.360	0.900
67	Siddharthnagar		3	0.000	0.000	0.000
68	Sitapur		3	0.000	0.000	0.000
69	Sonbhadra	2013	3	38.650	25.770	64.420
70	Sultanpur		3	0.000	0.000	0.000
71	Unnao		3	0.000	0.000	0.000
72	Varanasi		3	0.000	0.000	0.000
73	SAMBHAL (BHEEM NAGAR)		3	0.000	0.000	0.000
74	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)		3	0.000	0.000	0.000
75	SHAMALI (PRABUDDH NAGAR)		3	0.000	0.000	0.000
	TOTAL	3644		69.960	46.650	116.610

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-09/09/2016

प्रेषण संख्या:- C1760-MDMA-2016-17-Dt 15-09-2016-CCH-GR-81-2nd-Inst-Ref-GO-NO-1172-79-6-16-1112-2011-Dt 09-09-2016

आवंटन आदेश संख्या:- 002-LEKHA-CCH-GR-81-2016-17

अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2202 - सामान्य शिक्षा(आयोजनागत-मतदेय)
01 - प्रारम्भिक शिक्षा
796 - जनजातीय उपयोजना
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
01 - मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	देवरिया-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4019000 13609000	4019000 13609000
2	लखीमपुर खीरी-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	646000 5054000	646000 5054000
3	बहराइच-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	157000 307000	157000 307000
4	ललितपुर-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	230000 446000	230000 446000
5	सोनभद्र-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6442000 46078000	6442000 46078000
6	बलरामपुर-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	77000 1385000	77000 1385000
7	श्रावस्ती-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	90000 682000	90000 682000
	योग	वर्तमान प्रगामी	11661000 67561000	11661000 67561000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ पचहत्तर लाख इकसठ हजार

(कुंवर डी0 बी0 बी0 सिंह)
वित्त नियंत्रक

संख्याः–1172/79–6–16–1112/2011

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 9 सितम्बर, 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय मद की द्वितीय किस्त निर्गत किए जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/1386/2016–17 दिनांक 12.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0–69.960 लाख (रू0 उनहत्तर लाख छियान्वे हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–46.650 लाख (रू0 छियालिस लाख पैसठ हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–116.610 लाख (रू0 एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक–कम हेल्पर (रसोईया–सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैक खाते से कुक–कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्दांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01– प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–796–जनजातीय उप योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0101– मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40–के.+रा.)– 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–1354/दस–16 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13 समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14 बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।